



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2011/फाल्गुन 13, 1932

No. 109]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2011/PHALGUNA 13, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2011

सा.का.नि. 184(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग आशुलिपिक श्रेणी-II और आशुलिपिक श्रेणी-III भर्ती नियम, 2004 को जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-II और आशुलिपिक श्रेणी-III के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग में आशुलिपिक श्रेणी-II के पुनः पदाभिहित समूह "ग" पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग आशुलिपिक श्रेणी-II (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये एक जनवरी, 2006 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. आरंभिक गठन.—(1) आशुलिपिक श्रेणी-III की पूर्व श्रेणी से संबंधित इन नियमों के आरंभ के समय नियमित आधार पर नियुक्त हुए सभी व्यक्तियों को इन नियमों के अधीन आशुलिपिक श्रेणी-II के रूप में नियुक्त हुआ समझा जाएगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व आशुलिपिक श्रेणी-III के श्रेणी में उनके द्वारा की गई सेवा को अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता विनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

4. विशेष उपबंध.—जब तक अन्यथा, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क द्वारा निर्देशित न किया जाए, प्रत्येक कमिश्नरेंट का अपना पृथक काडर होगा।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उपरोक्त नियम 3 के अधीन रहते हुए, भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी-2	550*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाए।
सीधे भर्ती किए जाने वाले शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य।	(ii) कुशलता परीक्षण सत्रियम :- श्रुतलेख : 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट अनुलिपिकरण : 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) (कम्प्यूटर पर)	लागू नहीं होता	दो वर्ष	(11)	(12)	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	सीधे भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता			

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति :—

लागू नहीं होता ।

(I) एकल कमीशनरेट अर्थात् वे कमीशनरेट जिनका सामान्य कांडर नहीं है :—

- (i) कांडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने —अध्यक्ष
वाला मुख्यालय कार्यालय में अपर आयुक्त
- (ii) दो उपायुक्त, अधिमानतः उसमें मुख्यालय कार्यालय का —सदस्य
ज्येष्ठतम जो कांडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट
किया जाए
- (iii) आयकर के उप/सहायक आयुक्त, जिन्हें आयकर आयुक्त —सदस्य
द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए

(II) संयुक्त कमीशनरेट अर्थात् दो या अधिक कमीशनरेट जिनके पास सामान्य कांडर हैं :—

- (i) संबद्ध आयुक्तों के साथ पारस्परिक परामर्श से कांडर —अध्यक्ष
नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले
अधिकतम तीन के अध्यक्षीय प्रत्येक कमीशनरेट से अपर
आयुक्त (ज्येष्ठतम व्यक्ति अध्यक्ष होगा) :—
- (ii) कांडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने —सदस्य
वाले मुख्यालय कार्यालय में ज्येष्ठतम उपायुक्त
- (iii) आयकर आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने —सदस्य
वाले उपायुक्त या सहायक आयुक्त

[फा. सं. ए-12018/04/2010/ए. डी. IIIख]

बी. के. पी. अंगम, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन :

- (i) इन्हें 1 जनवरी, 2006 अर्थात् छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के क्रियान्वयन की प्रभावी तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा । कार्यालय ज्ञापन सं. ए.बी.-14017/8/2010 (स्था.) (आर आर) तारीख 10-3-2010 के द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है ।
- (ii) यह प्रभावित किया जाता है इन नियमों के उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2011

G.S.R. 184(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Excise and Customs Department Stenographer Grade II and Stenographer Grade III Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the post of Stenographer Grade II and Stenographer Grade III, except as in respect of things done or omitted before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the re-designated Group "C" post of the Stenographer Grade II in the Central Excise and Customs Department namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Central Excise and Customs Department Stenographer Grade II (Group "C" posts) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2006.

2. Number of Posts, Classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.—The number of said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Initial Constitution:—(1) All persons appointed on a regular basis at the time of commencement of these rules to the erstwhile grade of Stenographer Grade III shall be deemed to have been appointed as Stenographer Grade II under these rules.

(2) The service rendered by them in the grade of Stenographer Grade III before the commencement of these rules shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion to the next higher grade.

4. Special Provision.—Each Commissionerate shall have its own separate cadre, unless otherwise directed by the Central Board of Excise and Customs constituted under the Central Board of Revenue Act, 1963 (54 of 1963).

5. Method of Recruitment, Age limit, Other Qualification etc.—Subject to rule 3 above, the method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

6. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service under Rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Stenographer Grade -II	550*(2011) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial)	Pay Band-1, Rs. 5200-20200, Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	18-27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Govt.). Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
(i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University. (ii) Skill Test Norms Dictation : 10 minutes @ 80 words per minute Transcription : 50 minutes (English) : 65 minutes (Hindi) : (On Computer)	Not applicable	Two years
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancy to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	
(11)		(12)
Direct recruitment through Staff Selection Commission Note : Vacancies caused by incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Col.8		Not applicable
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)		(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation :		Not applicable.
(I) Single Commissionerate that is Commissionerates having no common cadre :—		
(i) The Additional Commissioner at Head quarter office to be nominated by the cadre controlling authority	—Chairman	
(ii) Two Deputy Commissioner preferably senior most at Headquarter office to be nominated by the Cadre Controlling authority	—Member	
(iii) The Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income Tax to be nominated by the Commissioner of Income Tax	—Member; or	
(II) Composite Commissionerates that is two or more Commissionerates having common cadre :—		
(i) The Additional Commissioner from each of the Commissionerates subject to maximum of three	—Chairman	

(13)

to be nominated by the cadre controlling authority by mutual consultation with Commissioners concerned (The senior most among them would be the Chairman)

- (ii) The Deputy Commissioner preferably senior most at Headquarter's office to be nominated by the Cadre Controlling authority —Member
- (iii) The Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income Tax to be nominated by the Commissioner of Income Tax —Member.

[F. No. A-12018/04/2010-Ad.III (B)]

B. K. P. ANGAM, Under Secy.

Explanatory Memorandum :

- (i) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 2006 i.e. the effective date of implementation of 6th Central Pay Commission. The retrospective effect is being given w.e.f. 1st January, 2006 as per instructions issued by Department of Personnel & Training *vide* Office Memorandum No.AB-14017/8/2010-Estt. (RR) dated 10-3-2010.
- (ii) It is certified that by giving retrospective effect to the provision of these rules no one is being adversely affected.